

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, कन्नौज।

प्रेषक,

संगीता श्रीवास्तव,  
जनपद न्यायाधीश,  
कन्नौज।

Annexure - 7

सेवा में,

निबन्धक (न्यायिक) (बजट),  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

पत्रांक :- 673/IX कन्नौज/दिनांक :- 29/4/2022

विषय :- श्री मुकेश कुमार सिंह, अपर जिला जज/एफ0टी0सी प्रथम, जनपद न्यायालय, कन्नौज द्वारा अपने स्वयं के इलाज पर व्यय धनराशि मु0 40,664/-रु0 की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु अनुदान उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि श्री मुकेश कुमार सिंह अपर जिला जज/एफ0टी0सी प्रथम, जनपद न्यायालय कन्नौज द्वारा अपने स्वयं के इलाज पर व्यय हुई धनराशि के सम्बन्ध में चिकित्सीय प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत किया गया था। प्रभारी अधिकारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति/अपर जिला जज, न्यायालय संख्या-02 कन्नौज की आख्या के अनुसार प्रस्तुत चिकित्सीय प्रतिपूर्ति दावे की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण होने के कारण उक्त दावा मेरे द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

अतः स्वीकृति आदेश की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि श्री मुकेश कुमार सिंह, अपर जिला जज/एफ0टी0सी0 प्रथम, जनपद न्यायालय कन्नौज को चिकित्सीय प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु मु0 40,664/-रुपये की धनराशि लेखा शीर्षक 2014001050300 में अनुदान माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आदर सहित।

भवदीय,

29.4.2022  
(संगीता श्रीवास्तव)  
जनपद न्यायाधीश,  
कन्नौज।

संलग्नक- स्वीकृत आदेश की छायाप्रति।



**कार्यालय जनपद न्यायाधीश, कन्नौज।**

संख्या :- 432

दिनांक :- 29-04-2022

**आदेश**

श्री मुकेश कुमार सिंह, अपर जिला जज/एफ0टी0सी0 प्रथम, जनपद न्यायालय कन्नौज द्वारा अपने स्वयं के इलाज में व्यय हुयी धनराशि मु0-40,664/-रुपये की चिकित्सीय प्रतिपूर्ति हेतु दावा प्रस्तुत किया गया था। सन्दर्भित दावे के अनुसार श्री मुकेश कुमार सिंह द्वारा अपने स्वयं का इलाज वात्सल्य मेडिकल सेन्टर लखनऊ के चिकित्सक से कराया गया था। आवेदक द्वारा अपना स्वयं का इलाज दिनांक 03.12.2013 से दिनांक 08.02.2021 तक कराया गया था तथा इलाज पर व्यय की गयी धनराशि के भुगतान हेतु मूल बिल प्रस्तुत किये गये हैं।

शासनादेश संख्या-2275/5-6-11-1082/87 टी.सी. लखनऊ दिनांक 20.09.2011 एवं शासनादेश संख्या-474/पांच-6-14-1082/87टी0सी0 दिनांक 04.03.2014 एवं चिकित्सा परिचर्या द्वितीय संशोधन नियमावली संख्या-365/2016/3124/पांच-6-2016-19जी/16 लखनऊ दिनांक 27.12.2016 में दी गयी चेक लिस्ट के अनुसार दावा परीक्षण हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी लखनऊ को प्रेषित किया गया। मुख्य चिकित्साधिकारी लखनऊ द्वारा उपरोक्त दावा तकनीकी परीक्षण करने के उपरान्त पत्र संख्या-तकनीकी परीक्षण रिपोर्ट/चि0प्रति0/2021/6489 दिनांक 23.03.2021 के माध्यम से मु0-40,664/-रुपये की चिकित्सीय प्रतिपूर्ति हेतु अनुमन्य किया गया है।

मुख्य चिकित्साधिकारी लखनऊ के तकनीकी परीक्षण के उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या-15901/IV-1696/Admin A-1 Sec./Dated 11.10.2014 के अनुसार जनपद न्यायालय कन्नौज में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत दावों के परीक्षण हेतु नियुक्त प्रभारी अधिकारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति श्रीमती आदेश नैन, अपर जिला जज, न्यायालय संख्या-02 कन्नौज से आख्या आहूत की गयी। श्रीमती आदेश नैन, चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रभारी अधिकारी/अपर जिला जज, न्यायालय संख्या-02, कन्नौज की आख्या दिनांकित 27.04.2022 के अनुसार **इलाज पूर्ण होने के 03 माह के अन्दर दावा दाखिल किया गया है एवं इलाज प्रारम्भ होने के 30 दिवस के अन्दर इलाज की सूचना प्रेषित की गयी है। तदोपरान्त प्रभारी अधिकारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति द्वारा श्री मुकेश कुमार सिंह द्वारा अपने स्वयं के इलाज पर व्यय धनराशि मु0-40,664/-रु0 स्वीकार किये जानें की संस्तुति सहित आख्या प्रस्तुत की है।**

अतः प्रभारी अधिकारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति/अपर जिला जज, न्यायालय संख्या-02 कन्नौज की आख्या दिनांक 27.04.2022 से सहमति रखते हुए शासनादेश संख्या-चिकित्सा परिचर्या नियमावली 2011 चिकित्सा अनुभाग-6 संख्या-2275/5-6-11-1082/87 लखनऊ दिनांक 20.09.2011 तथा संशोधित चिकित्सा अनुभाग-6 संख्या-474/5-6-14-1082/87 टी.सी. लखनऊ दिनांक 04.03.2014 व शासनादेश संख्या-365/2016/3124/पांच-6-2016-19जी/16 लखनऊ दिनांक 27.12.2016 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत श्री मुकेश कुमार सिंह, अपर जिला जज/एफ0टी0सी0-01, जनपद न्यायालय कन्नौज द्वारा अपने स्वयं के इलाज पर व्यय हुयी धनराशि मु0-40,664/- रुपये का भुगतान चिकित्सीय प्रतिपूर्ति के रूप में किया जाना अनुमन्य किया जाता है। अनुदान हेतु मांग पत्र माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद प्रेषित किया जाये।

(संगीता श्रीवास्तव)  
जनपद न्यायाधीश,  
कन्नौज।

Attested  
A. Kumar

M. Kumar